ग्राम पंचायत बरवाला, विकास खण्ड धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० – 176001
के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बरवाला, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री गुरबक्श कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अमित कुमार	01/04/2022 से 31/05/2022
2.	श्री राजीव गुप्ता	01/06/2022 से 20/11/2023
3.	श्री करुण कुमार पंकज	21/11/2023 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अजय कुमार	01/04/2022 से 04/02/2024
2.	श्री ओंकार दत्त	05/02/2024 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री साहिब सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत बरवाला के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	**0.14**
2.	4.2	रोकड़ बहियों में अनुचित/असमर्थित प्रविष्टियाँ पाया जाना	**2.33**
3.	4.3	राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) बैंक खाते से अर्जित ब्याज राशि को सभा निधि में हस्तांतरित करना	**1.08**
4.	4.4	सभा निधि रोकड़ बही अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत नकद शेष पाया जाना	**0.03**
5.	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	**20.55**
6.	7	संपत्ति कर/गृहकर वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.72**
7.	8.1	खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान का पाया जाना	**4.05**
8.	8.2	बजरी एवं पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	**0.23**
9.	8.3	सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	**0.09**

10.	8.4	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	**6.39**
11.	8.5	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	**8.22**
12.	8.6	प्रोफॉर्मा एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	**8.22**
13.	8.7	कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निष्पादित कार्य से सम्बन्धित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करना	**1.50**
14.	9.1	व्यक्तिगत कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात (60:40) के उल्लंघन के कारण अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान का पाया जाना	**0.61**
15.	9.2	मूल्यांकन किए बिना निर्माण कार्यों हेतु भुगतान करना	**4.51**
16.	9.3	खपत से अधिक सीमेंट को क्रय करना एवं स्टॉक जारी करने के कारण अनियमित/अतिरिक्त भुगतान का पाया जाना	**0.10**
17.	9.4	मूल्यांकित राशि की तुलना में अधिक भुगतान करना	**0.07**
18.	9.5	कृत व्यय से सम्बन्धित माप पुस्तिका के अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना का पाया जाना	**14.17**
19.	10.1	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने के कारण राजकीय कोष को राजस्व हानि	**0.02**
20.	10.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को हि० प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि	**0.07**

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत बरवाला का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 के लिये किया गया था जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति
1.	3	**निर्णित** (अंकेक्षण शुल्क ₹5000/- की प्राप्ति की पुष्टि मांग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 108 से करने उपरान्त)

2.	4.1	**निर्णित** (नवीनतम स्थिति अनुसार वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
3.	4.2	**निर्णित** (अंकेक्षण के दौरान राशि ₹365 की वसूली बावत रसीद संख्या 0143742 दिनांक 11-03-2025 **की पुष्टि उपरांत।**)
4.	5.1	**अनिर्णित**
5.	5.2	**अनिर्णित**
6.	5.3	**निर्णीत** (पंचायत द्वारा पैरे के समायोजन हेतु पत्र क्रमांक 51 दिनांक 13.03.2025 द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन एवं सटिप्पण उत्तर के अवलोकन उपरांत पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
7.	6	**निर्णीत** (पंचायत द्वारा पैरे के समायोजन हेतु पत्र क्रमांक 51 दिनांक 13.03.2025 द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन एवं सटिप्पण उत्तर के अवलोकन उपरांत पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
8.	7	**निर्णीत** (पंचायत द्वारा पैरे के समायोजन हेतु पत्र क्रमांक 51 दिनांक 13.03.2025 द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन एवं सटिप्पण उत्तर के अवलोकन उपरांत पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
9.	8	**निर्णीत** (पंचायत द्वारा पैरे के समायोजन हेतु पत्र क्रमांक 51 दिनांक 13.03.2025 द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन एवं सटिप्पण उत्तर के अवलोकन उपरांत पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
10.	9	**निर्णीत** (पंचायत द्वारा पैरे के समायोजन हेतु पत्र क्रमांक 51 दिनांक 13.03.2025 द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन एवं सटिप्पण उत्तर के अवलोकन उपरांत पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
11.	10	**अनिर्णित**
12.	11	**अनिर्णित**
13.	12	**निर्णीत** (पंचायत द्वारा पैरे के समायोजन हेतु पत्र क्रमांक 51 दिनांक 13.03.2025 द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन एवं सटिप्पण उत्तर के अवलोकन उपरांत पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
14.	13	**निर्णीत** (पंचायत द्वारा पैरे के समायोजन हेतु पत्र क्रमांक 51 दिनांक 13.03.2025 द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन एवं सटिप्पण उत्तर के

		अवलोकन उपरांत पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
15.	14	**अनिर्णित**
16.	15	**अनिर्णित**
17.	15(ख)	**निर्णीत** (पंचायत द्वारा पैरे के समायोजन हेतु पत्र क्रमांक 51 दिनांक 13.03.2025 द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन एवं सटिप्पण उत्तर के अवलोकन उपरांत पैरे का समायोजन कर दिया गया है)

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत बरवाला, विकास खण्ड धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05.03.2025 से 13.03.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	03/2023	05/2022
2023-24	08/2023	03/2024

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को

प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 14/2024/बरवाला दिनांक 13.03.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 49 दिनांक 13.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 41/2024 दिनांक 05.03.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	**अथशेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (कालम 2+3) (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तशेष (कालम 4-5) (₹)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	146984.89	425421.43	572406.32	226794.00	345612.32
2023-24	345612.32	135711.15	481323.47	199360.15	281963.32

2. अनुदान:-

अवधि	**अथशेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (कालम 2+3) (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तशेष (कालम 4-5) (₹)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	1193110.11	7140500.76	8333610.87	6242836.14	2090774.73
2023-24	2090774.73	5280857.30	7371632.03	5316757.67	2054874.36

कुल योग (1+2) = 281963.32 + 2054874.36 = **2336837.68**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष से **₹23,36,837.68** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹ 23,23,005.68 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024
1.	सभा निधि (OWN SOURCE)	KCCB योल कैंट	20121009723	₹ 2,79,022.32
2.	5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC)			
3.	5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC)	BOM धर्मशाला	60418042688	₹ 38,960.00
4.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	BOM धर्मशाला	60418040726	₹ 6,566.18
5.	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	BOM धर्मशाला	60418042338	₹ 6,481.05
6.	राज्य आपदा राहत कोश (SDRF)	KCCB योल कैंट	3456260822	₹ 40,783.88
7.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)	CBI योल कैंट	3017399163	₹ 54,592.00
8.	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	KCCB योल कैंट	50076617025	₹ 18,862.00
9.	14वाँ वित्तायोग (14TH FC)	CBI योल कैंट	3655403639	₹ 0.00
10.	15वाँ वित्तायोग (15TH FC)	CBI योल कैंट	3844281150	₹ 18,74,797.25
	हस्तगत नकद शेष (Own Source)			₹ 2,941.00
	कुल योग			**₹ 23,23,005.68**
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति पैरा- 4(क) के अनुसार अन्तशेष :-				**₹ 23,36,837.68**
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-				**₹ 23,23,005.68**
अंतर :-				**₹ 13,832.00**

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.14 लाख के अन्तर बारे:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज

(वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4(ख) के अनुसार **₹13,832.00** की राशि का अन्तर बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/बरवाला दिनांक 06.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 36 दिनांक 07.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस संदर्भ में त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया जाता है कि रोकड़ बहियों का बैंक से मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए तदानुसार, नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना अन्यथा अन्तर की राशि की उचित स्रोत से वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 रोकड़ बहियों में राशि ₹2.33 लाख की अनुचित/असमर्थित प्रविष्टियाँ पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रता: से प्रविष्टि किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई रखी जाएंगी।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बहियों के अंकेक्षण पर पाया गया कि रोकड़ बहियों में राशि **₹2,32,568.02** की प्रविष्टि दर्ज की गई थी जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है जिसके समर्थन में कोई बिल/वाउचर, अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया व बैंक पास बुक से मिलान करने पर भी इस प्रकार का कोई लेन-देन नहीं पाया गया, जिस कारण उक्त प्रविष्टियाँ अनुचित/असमर्थित प्रतीत होती हैं।

क्र०सं०	रोकड़ बही	दिनांक	वाउचर सं०	रोकड़ बही अनुसार प्रविष्टि का विवरण	राशि (₹)
01	Own Sources	02.04.2022	OWN/2022-23/R/1	Cash book bank balance correction	**87,589.04**
02	VKVNY	29.09.2022	VKVNY/2022-23/P/10	Bank balance correction	**1,25,600.50**
03	FFC	02.04.2022	FFC/2022-23/P/1	Cash Book Bank balance correction	**19,378.48**
				कुल योग	**2,32,568.02**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/बरवाला दिनांक 06.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 37 दिनांक 07.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को त्रुटि स्वीकार करते हुये बताया कि केवल रोकड़ बही का बैंक से मिलान करने हेतु उक्त प्रविष्टि रोकड़ बही में दर्ज की गई थी जबकि वास्तव में उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर उक्त रोकड़ बहियों की विस्तृत जांच की जाये व तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अनुचित एवं असमर्थित राशि की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

4.3 राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) बैंक खाते से अर्जित ब्याज राशि ₹1.08 लाख को सभा निधि में हस्तांतरित करने बारे: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज(PRIASoft) लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग खाता संख्या खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं पर अर्जित ब्याज उन्हीं योजनाओं का हिस्सा होगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका अनुसार अर्जित ब्याज को सभा निधि में हस्तांतरित किया गया था जोकि जारी किए गए उक्त दिशा-निर्देशों की ग्राम पंचायत द्वारा स्पष्ट अवहेलना है:-

क्र० सं०	दिनांक	वाउचर सं०	अनुदान/योजना	सभा निधि में हस्तांतरित की गई ब्याज राशि (₹)
1.	29.03.2023	SDRF/2022-23/P/2	राज्य आपदा राहत कोश (SDRF)	**₹1,08,130.39**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/बरवाला दिनांक 06.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 38 दिनांक 07.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि प्राप्त ब्याज की राशि जो सभा निधि खाते में ट्रांसफर की गई है उसे वापिस राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) के खातों में जमा करवा दिया जाएगा व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 सभा निधि रोकड़ बही अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक राशि ₹0.03 लाख के हस्तगत नकद शेष बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा ₹1000/- तक की राशि ही इम्प्रेस्ट (अग्रदाय) रूप में रखी जा सकती है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि सभा निधि रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31.03.2024 को प्रावधित सीमा से अधिक कुल नकद राशि **₹2941.00** को हस्तगत रखा गया था व इसके अलावा दृष्टांत मामलों में चयनित माह में भी रोकड़ बही अनुसार प्रावधित सीमा से अधिक हस्तगत नकद शेष पाया गया जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है, जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है:-

क्र०सं०	माह	दिनांक	हस्तगत नकद शेष (सभा निधि) (₹)
	Op Balance as On	01.04 .2022	2279.00
01	05/2022	31.05 .2022	3646.00
02	08/2023	31.08.2023	4295.00
03	03/2024	**31.03.2024**	2941.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/बरवाला दिनांक 06.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 39 दिनांक 07.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित माह के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत रखी गई राशि का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इस गंभीर अनियमितता की विभागीय स्तर पर समुचित विस्तृत जांच की जाये व तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एक हजार रूपये से अधिक राशि को अग्रदाय/इम्प्रेस्ट रूप में न रखा जाये।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्वः-स्रोत में

कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/बरवाला दिनांक 07.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 40 दिनांक 07.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹20.55 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 41/2024 दिनांक 05.03.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 20,54,874.36** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा पूर्व निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/बरवाला दिनांक 07.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 40 दिनांक 07.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके शेष अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को फंडिंग एजेन्सी के दिशा-निर्देशानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **79**(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र सं० पी०सी० एच०-एच०, ए० (5)(सी)(15)313/88-4614-478 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व अन्य स्वीकृत एजेन्सी से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवायेगा ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं इन्हें सम्बन्धित स्कीम पर ही व्यय किया जा रहा था अथवा नहीं ?

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/बरवाला दिनांक 07.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 40 दिनांक 07.03.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदानों के आदेश व स्वीकृति पत्र विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए है, जिन्हें भविष्य में प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.3 सहायता अनुदान बिल रजिस्टर का रख-रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **61 (1)** के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार सहायता अनुदान बिल रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है एवं नियम **79(2)** के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा सहायता अनुदान बिल रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/बरवाला दिनांक 07.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 40 दिनांक 07.03.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदान रजिस्टर असंधारित है एवं भविष्य में अनुदान रजिस्टर को संधारित कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (***Update)*** करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन सहायता अनुदान बिल रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर राशि ₹0.72 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/बरवाला दिनांक 07.03.2025 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 41 दिनांक 07.03.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में ₹50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृह कर अधिरोपित किया था एवं राशि **₹71,865.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.2024 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न

है। संपत्ति कर/गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/बरवाला दिनांक 13.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 48 दिनांक 13.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹4.05 लाख के अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अतिरिक्त निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र क्रमांक XEN-(RD&PR)-DB-GENERAL/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 व XEN-(RD&PR)-Royalty/2011-Vol-1-10247-10393 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गये कि खनन सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल सम्बन्धित ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरांत ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के नमूना अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं निर्देशों की अनदेखी के परिणामस्वरूप **परिशिष्ट** - "**ङ** " पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹4,05,273.00** का आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान किया गया था। ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने के कारण क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्रोत की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण अवैध खनन स्रोत से आपूर्ति की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/बरवाला दिनांक 10.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 44 दिनांक 12.03.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्यों पर प्रयोग की गई सामग्री (रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि) के बिलों के समर्थन में ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई और भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत ने आश्वासन दिया कि आपूर्तिकर्ता से ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः राशि **₹4,05,273.00** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में खनन सामग्री के क्रय के दौरान बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व तदुपरांत ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.2 बजरी एवं पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.23 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के अध्याय 2 के अन्तर्गत भवनों एवं सड़कों के लिए सामग्री हेतु मानकों के पैरा (2.1.2.13) में बजरी (Aggregate) एवं पत्थरों

(Stone/Boulders) के आकार अनुसार आपूर्ति के दौरान रिक्तियों (Voids) की कटौती 5%, 10% एवं 12.5% करना निर्धारित है

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को रिक्तियों की कटौती किए बिना कुल राशि **₹2,43,097.00** का भुगतान किया गया जिस पर राशि **₹23,062.10** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " च "** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/बरवाला दिनांक 10.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 45 दिनांक 12.03.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार रिक्तियों (Voids) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आश्वासन दिया गया कि अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा देगी। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं/उचित स्रोत से की जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भुगतान से पूर्व रिक्तियों की कटौती से सम्बन्धित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदोपरान्त ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.3 सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.09 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी

विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के चयनित माह के दौरान कुल राशि **₹4,41,411.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹8,828.22** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/बरवाला दिनांक 10.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 46 दिनांक 12.03.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है। अतः अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली

आपूर्तिकर्ताओं/उचित स्रोत से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से सम्बन्धित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹6.39 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹6,39,489.50** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट - " ज "** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/बरवाला दिनांक 10.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 47 दिनांक 12.03.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया गया कि कार्य की आकस्मिकता के कारण औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण नहीं किया जा सका व अंकेक्षण को आश्वासन दिया कि भविष्य में सामग्री का क्रय औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण करने उपरांत ही किया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। नियमानुसार सामग्री क्रय न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.5 अग्रिम राशि ₹8.22 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत तक समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित खनियारा को सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹8,21,502.55** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " झ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/बरवाला दिनांक 13.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 48 दिनांक 13.03.2025 द्वारा बताया गया कि अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित खनियारा को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.6 राशि ₹8.22 लाख के प्रोफॉर्मा बिल एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट के क्रय से सम्बन्धित प्रोफॉर्मा एवं मूल बिल (Original Bill) प्रस्तुत नहीं किए गये। ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित खनियारा को **परिशिष्ट " झ"**

पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹8,21,502.55** का भुगतान किया गया जिसके बदले में समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग हेतु सीमेंट लिया गया। उक्त भुगतान एवं प्राप्त सीमेंट की मात्रा से सम्बन्धित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण सीमेंट की स्टॉक प्रविष्टियों एवं खपत की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/बरवाला दिनांक 13.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 48 दिनांक 13.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित खनियारा से मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि अग्रिम भुगतान राशि की जांच पड़ताल कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं सम्बन्धित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन करने उपरांत नियमानुसार अग्रिम समायोजन लेखें सहित कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सीमेंट के क्रय हेतु अग्रिम भुगतान केवल दार्शनिक बिल (Proforma Bill) प्राप्ति के उपरांत ही किया जाये।

8.7 कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निष्पादित स्वीकृत राशि ₹1.50 लाख के कार्य से सम्बन्धित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम **94, 95** व **101** के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। नियम **79(2)** अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राज्य आपदा कोष (**SDRF**) के अर्न्तगत निष्पादित स्वीकृत राशि **₹1,50,000.00** के

विकास कार्य से सम्बन्धित प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ञ "** पर संलग्न है जिसके अभाव में सम्बन्धित स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि के अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/बरवाला दिनांक 13.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 48 दिनांक 13.03.2025 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः मनरेगा के अन्तर्गत निष्पादित विकास कार्यों हेतु व्यय राशि से सम्बन्धित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे मामले को विभागीय स्तर पर उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि अनावश्यक जांच उपरान्त तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9. मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितता बारे

9.1 व्यक्तिगत कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात (60:40) के उल्लंघन के कारण राशि ₹0.61 लाख का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा०वि०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एसएमएस-8/2011-12-आर.डी.डी. (एम.पी.आर) दिनांक 22 जुलाई 2011 द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, लघु तथा सीमान्त किसानों की निजी भूमि पर किये जाने वाले प्रत्येक कार्य पर मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर व्यय क्रमशः 60:40 के अनुपात में ही होगा।

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को सामग्री क्रय हेतु राशि **₹60,556.38** का अतिरिक्त/ अनियमित

भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिससे सम्बन्धित कार्यों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ट "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/बरवाला दिनांक 13.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 48 दिनांक 13.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि इस बारे तकनीकी सहायक से चर्चा उपरांत त्रुटि स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को आश्वासन दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि आवश्यक जांच उपरान्त नियमानुसार कार्यों के भुगतान हेतु तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अतिरिक्त/अनियमित भुगतान की गई राशि की नियमानुसार गणना कर उच्च अधिकारियों की सत्यापना सहित वसूली उचित स्रोत से करने उपरांत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 मूल्यांकन किए बिना निर्माण कार्यों हेतु राशि ₹4.51 लाख का भुगतान करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम **106** के अनुसार अंतिम भुगतान से पूर्व अंतिम निर्धारण और समापन रिपोर्ट प्रेषित करना तथा नियम **101(2)(i)** के अनुसार कार्य के पूर्ण होने के पंद्रह दिनों के भीतर उनकी पैमाइश की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों, मस्ट्रोलों एवं माप पुस्तिका के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत **परिशिष्ट "ठ"** पर संलग्न विवरणानुसार व्यय राशि **₹4,51,179.64** के विकास कार्यों के पूर्ण होने के काफी लम्बे समय तक भी तकनीकी सहायक द्वारा कार्यों की पैमाइश/ मूल्यांकन नहीं किया गया था एवं पंचायत द्वारा बिना पैमाइश/ मूल्यांकन के भुगतान कर दिया गया था। प्रावधान अनुसार मस्ट्रोलों को तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित कर माप पुस्तिका का विवरण दर्ज किया गया था परंतु सम्बन्धित माप पुस्तिका के पृष्ठ रिक्त पाए गए जिससे संभावित है कि तकनीकी सहायक द्वारा केवल खानापूर्ति की जा रही हो अथवा इन कार्यों को धरातल पर निष्पादित नहीं किया गया हो। यह एक अति गंभीर

अनियमितता है और इसके कारण किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता अपितु उक्त समस्त कार्यों का निष्पादन भी संदिग्ध प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/बरवाला दिनांक 13.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 48 दिनांक 13.03.2025 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है व अंकेक्षण को आश्वासन दिया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः उक्त प्रकरण में लम्बे समय तक तकनीकी सहायक द्वारा माप पुस्तिका में मूल्यांकन दर्ज न किए जाने एवं पंचायत द्वारा बिना मूल्यांकन के भुगतानों को ठोस तथ्यों के आधार पर समर्थित अभिलेख तथा सक्षम अधिकारी की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्रोत से करने उपरांत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में मूल्यांकन दर्ज किए बिना भुगतानों पर अविलम्ब रोक लगाई जाये।

9.3 खपत से अधिक सीमेंट को क्रय करना एवं स्टॉक जारी करने के कारण राशि ₹ 0.10 लाख के अनियमित/अतिरिक्त भुगतान बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के तहत ग्राम पंचायत को निधियों के व्यय के दौरान प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता का अनुपालन करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि मनरेगा के अंतर्गत **परिशिष्ट " ड "** पर संलग्न विवरणानुसार निष्पादित विभिन्न कार्यों हेतु खपत से अधिक सीमेंट का क्रय करना एवं स्टॉक जारी करने के कारण राशि **₹9,757.00** का अतिरिक्त/अनियमित भुगतान पाया गया जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/बरवाला दिनांक 13.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 48 दिनांक 13.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया

कि अतिरिक्त व्यय की गई राशि की वसूली कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.4 मूल्यांकित राशि की तुलना में राशि ₹0.07 लाख के अधिक भुगतान बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के तहत ग्राम पंचायत को निधियों के व्यय के दौरान प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता का अनुपालन करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित कार्य ***"निर्माण रास्ता शिव मंदिर से राज कुमार के घर की ओर वार्ड 5 (1304004163/RC/8000110520)"*** हेतु माप पुस्तिका संख्या 0156 के पृष्ठ 27 से 29 के अनुसार मूल्यांकित राशि **₹74,427.00** की तुलना में राशि **₹81,195.90** का भुगतान किया गया था जिस कारण राशि **₹6,769.00** का अधिक भुगतान पाया गया जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ढ "** पर संलग्न जोकि अनियमित है एवं उक्त राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/बरवाला दिनांक 13.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 48 दिनांक 13.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि अतिरिक्त व्यय की गई राशि की वसूली कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.5 व्यय राशि ₹14.17 लाख से सम्बन्धित माप पुस्तिका के अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 के अनुसार तकनीकी सहायक की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना एवं कनिष्ठ अभियंता की माप पुस्तिकाओं को सहायक अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिसूचना क्रमांक PCH-HB(1)10/2017-PREW-44424-570 दिनांक 23.07.2019 के अनुसार तकनीकी सहायकों द्वारा माप पुस्तिका में तैयार किए गए कार्य अभिलेख प्रविष्टियों और बिल के मूल्यांकन के लिए, ₹3.00 लाख तक की लागत वाले कार्य कनिष्ठ अभियंता द्वारा पारित किए जाएंगे और कनिष्ठ अभियंता द्वारा तैयार किए गए ₹3.00 लाख से अधिक लागत वाले रिकॉर्ड प्रविष्टियों और बिल को सहायक अभियंता या कार्यकारी इंजीनियर द्वारा पारित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट " ण "** पर संलग्न दृष्टांत मामलों में माप पुस्तिका के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माप पुस्तिका में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित करवाए बिना राशि **₹14,16,666.00** का भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना के उपरांत किया गया था। फलस्वरूप किये गये भुगतानों की तकनीकी रूप से सत्यापना एवं नमूना जांच के अभाव में किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/बरवाला दिनांक 13.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 48 दिनांक 13.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा लाखों रुपये की धनराशि का व्यय नियमों की अवहेलना करते हुये करना उचित नहीं है।

अत: सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में पाई गई अनियमितताओं बारे समर्थित अभिलेख सहित तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये उक्त भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा माप पुस्तिकाओं में नियामनुसार अपेक्षित कार्रवाई करने उपरांत कृत सुधारात्मक

अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में माप पुस्तिकाओं के अभिलेखन व अनुरक्षण हेतु वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये।

9.6 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध प्रस्तुत न करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के **"परिशिष्ट -ई"** में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देख-रेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट " ट "** से **" ण "** तक पर संलग्न दृष्टांत मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये, जिससे स्पष्ट है कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है जिसका तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹0.02 लाख की राजकीय कोष को राजस्व हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200.00(APL)/₹25.00(BPL) प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400.00(APL)/₹50.00(BPL) अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹1,600.00** वसूली हेतु शेष है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "त"** पर संलग्न है। विवाह पंजीकरण शुल्क की नियमानुसार वसूली न करने के कारण राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/बरवाला दिनांक 07.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये उनके प्रतिउत्तर 43 दिनांक 10.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वसूली हेतु शेष विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर तदोपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.07 लाख को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹7,200.00** जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " त"** पर संलग्न है, को राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/बरवाला दिनांक 07.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये उनके प्रतिउत्तर 43 दिनांक 10.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में

उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.3 पंचायत बैठक की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का पालन न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 27 (3) के अनुसार "निर्माण कार्यों तथा विकासात्मक कार्यों के लेखों का अनुमोदन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक का अनिवार्य एजेण्डा होगा । पूर्व मास को आय-व्यय का मदवार विवरण विहित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों के आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रपत्र 34 पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि लेखा-जोखा प्रपत्र 34 अनुसार असंधारित था तथा ग्राम पंचायत का आय-व्यय नियमानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ नहीं रखा जा रहा था जोकि पंचायत की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/बरवाला दिनांक 13.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 48 दिनांक 13.03.2025 द्वारा बताया गया कि नियमानुसार लेखा जोखा खाता का संधारण कर लिया जाएगा व बैठक/सभा की कार्यवाही नियमपूर्वक अमल में लाई जाएगी

अतः उक्त मामले में सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रज़िस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है जिस कारण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों की सत्यता, पुष्टि एवं प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सका।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता बही	29(1 से 3)	07
4.	वर्गीकृत सार	29(4)	08
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
8.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
9.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
10.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
11.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
12.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 नियमावली अनुसार

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	स्थाई स्टॉक रजिस्टर	34	01
2.	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	34	02
3.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
4.	सहायता अनुदान रजिस्टर	34	08
5.	विकास कार्यों का लेखा जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 105(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/बरवाला दिनांक 07.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 42 दिनांक 10.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/बरवाला दिनांक 13.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 48 दिनांक 13.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ख) PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में क्रियान्वयन बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण PRIASoft लेखा प्रणाली में लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

3077-3081 31 MAY 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)108/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बरवाला, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 4(क) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत बरवाला, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176001

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP BARWALA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	146984.89	425421.43	572406.32	226794.00	345612.32
2023-24	345612.32	135711.15	481323.47	199360.15	281963.32

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1193110.11	7140500.76	8333610.87	6242836.14	2090774.73
2023-24	2090774.73	5280857.30	7371632.03	5316757.67	2054874.36

Karun

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Barwala
Dev. Block Dharamshala

(परिशिष्ट " ख " पैरा संख्या " 4(क)" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत बरवाला, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176001

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP BARWALA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1.	5th SFC	2022-23	0.00	246390.00	246390.00	235000.00	11390.00
		2023-24	11390.00	277010.00	288400.00	249440.00	38960.00
2.	VKVNY	2022-23	125600.50	499085.93	624686.43	392615.50	232070.93
		2023-24	232070.93	311885.50	543956.43	537435.25	6521.18
3.	SDP	2022-23	0.13	38847.00	38847.13	38800.13	47.00
		2023-24	47.00	55210.00	55257.00	48775.95	6481.05
4.	SDRF	2022-23	0.00	108970.39	108970.39	108148.09	822.30
		2023-24	822.30	455208.00	456030.30	415246.42	40783.88
5.	MPLADS	2022-23	420.00	52623.00	53043.00	0.00	53043.00
		2023-24	53043.00	1969.00	55012.00	420.00	54592.00
6.	SBM	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	31862.00	31862.00	13000.00	18862.00
7.	14th FC	2022-23	205521.48	2756.00	208277.48	206637.48	1640.00
		2023-24	1640.00	24.00	1664.00	1664.00	0.00
8.	15th FC	2022-23	861568.00	1512791.50	2374359.50	582598.00	1791761.50
		2023-24	1791761.50	876812.75	2668574.25	779900.00	1888674.25
9.	SBM (PFMS)	2022-23	0.00	286244.00	286244.00	286244.00	0.00
		2023-24	0.00	82510.00	82510.00	82510.00	0.00
10.	MNREGA	2022-23	0.00	4392792.94	4392792.94	4392792.94	0.00
		2023-24	0.00	3188366.05	3188366.05	3188366.05	0.00

Karun
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Barwala
Dev. Block Dharamshala

(परिशिष्ट " ग ", पैरा संख्या " 4 (ख) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत बरवाला, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176001

ग्राम पंचायत बरवाला के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक गत शेष 01.04.2022	बैंक अंत शेष 31.03.2024	कुल बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1.	सभा निधि (OWN SOURCE)	KCCB योल केंट	20121009723	₹ 2,32,294.93	₹ 2,79,022.32	₹ 3,17,982.32	₹ 3,20,923.32
2.	5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC)						
3.	5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC)	BOM धर्मशाला	60418042688	₹ 0.00	₹ 38,960.00		
4.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	BOM धर्मशाला	60418040726	₹ 80,000.00	₹ 6,566.18	₹ 6,566.18	₹ 6,521.18
5.	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	BOM धर्मशाला	60418042338	₹ 0.00	₹ 6,481.05	₹ 6,481.05	₹ 6,481.05
6.	राज्य आपदा राहत कोश (SDRF)	KCCB योल केंट	3456260822	₹ 1,89,600.62	₹ 40,783.88	₹ 40,783.88	₹ 40,783.88
7.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)	CBI योल केंट	3017399163	₹ 51,544.00	₹ 54,592.00	₹ 54,592.00	₹ 54,592.00
8.	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	KCCB योल केंट	50076617025	₹ 0.00	₹ 18,862.00	₹ 18,862.00	₹ 18,862.00
9.	14वाँ वित्तायोग (14TH FC)	CBI योल केंट	3655403639	₹ 1,86,143.00	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00
10.	15वाँ वित्तायोग (15TH FC)	CBI योल केंट	3844281150	₹ 13,18,147.30	₹ 18,74,797.25	₹ 18,74,797.25	₹ 18,88,674.25
	हस्तगत नकद शेष (Own Source)			₹ 2,279.00	₹ 2,941.00	₹ 2,941.00	
	कुल योग			**₹ 20,60,008.85**	**₹ 23,23,005.68**	**₹ 23,23,005.68**	**₹ 23,36,837.68**

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	**₹ 23,36,837.68**
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	**₹ 23,23,005.68**
अंतर :-	**₹ 13,832.00**

Karun
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Barwala
Dev Block Dharamshala

(परिशिष्ट " **घ** ", पैरा संख्या " **7** " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत बरवाला, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176001

दिनांक 31-03-2024 को सम्पत्ति कर/ गृहकर राशि ₹ 0.72 लाख वसूली हेतु शेष का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 456 परिवार एवं 2023-24 में 501 परिवारों का ₹50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 1,71,195.00	456	₹ 50.00	₹ 22,800.00	₹ 1,93,995.00	₹ 50,000.00	₹ 1,43,995.00
2023-24	₹ 1,43,995.00	501	₹ 50.00	₹ 25,050.00	₹ 1,69,045.00	₹ 97,180.00	₹ 71,865.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹ 71,865/-** है।						

Karun Kumar Pankaj
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Barwala
Dev. Block Dharamshala

पृ० 31

ग्राम पंचायत बरवाला द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹ 4.05 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

	वित्त वर्ष - 2022-23							
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान राशी GST सहित	फार्म X / फार्म W
1.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	001/ 09/04/2021	Sand	₹ 37.00	400.00 cft	₹ 14,800.00	Not available
2.				Agg	₹ 29.50	200.00 cft	₹ 5,900.00	
				Gst @5%			₹ 1,035.00	
3.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	007/ 09/04/2021	Sand	₹ 37.00	300.00 cft	₹ 11,100.00	Not available
4.				Agg	₹ 29.50	100.00 cft	₹ 2,950.00	
				Gst @5%			₹ 702.50	
5.				Cut Stone	₹ 13.00	1900.00 Nos.	₹ 24,700.00	
6.	Rajesh Kumar	Nil/31/05/2022	018/03/06/2021	Cut Stone	₹ 13.00	900.00 Nos.	₹ 11,700.00	Not available
7.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	012/ 18/04/2021	Sand	₹ 37.00	300.00 Cft	₹ 11,100.00	Not available
8.				Agg	₹ 29.50	100.00 Cft	₹ 2,950.00	
				Gst @5%			₹ 702.50	
9.				Cut Stone	₹ 13.00	1000.00 Nos.	₹ 13,000.00	
10.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	009/ 16/04/2021	Sand	₹ 37.00	500.00 cft	₹ 18,500.00	Not available
11.				Agg	₹ 29.50	200.00 cft	₹ 5,900.00	
				Gst @5%			₹ 1,220.00	
12.				Cut Stone	₹ 13.00	1000.00 Nos.	₹ 13,000.00	
13.	Rajesh Kumar	Nil/31/05/2022	027/01/09/2021	Cut Stone	₹ 13.00	870.00 Nos.	₹ 11,310.00	Not available
14.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	008/ 16/04/2021	Sand	₹ 37.00	200.00 cft	₹ 7,400.00	Not available
15.				Agg	₹ 29.50	100.00 cft	₹ 2,950.00	
				Gst @5%			₹ 517.50	
16.				Cut Stone	₹ 13.00	2000.00 Nos.	₹ 26,000.00	
17.	Rajesh Kumar	Nil/31/05/2022	014/20/06/2021	Cut Stone	₹ 13.00	1100.00 Nos.	₹ 14,300.00	Not available
18.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	041/ 01/02/2022	Sand	₹ 37.00	250.00 cft	₹ 9,250.00	Not available
19.				Agg	₹ 29.50	130.00 cft	₹ 3,835.00	
				Gst @5%			₹ 654.25	
20.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	042/ 01/02/2022	Sand	₹ 37.00	400.00 cft	₹ 14,800.00	Not available
21.				Agg	₹ 29.50	160.00 cft	₹ 4,720.00	
22.				Cut Stone	₹ 13.00	1440.00 Nos.	₹ 18,720.00	
				Gst @5%			₹ 1,912.00	
23.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	043/ 01/02/2022	Sand	₹ 37.00	250.00 Cft	₹ 9,250.00	Not available
24.				Agg.	₹ 29.50	130.00 Cft	₹ 3,835.00	
				Gst @5%			₹ 654.25	
25.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	047/ 09/03/2022	Sand	₹ 37.00	600.00 Cft	₹ 22,200.00	Not available
26.				Agg	₹ 29.50	1000.00 Cft	₹ 29,500.00	
				Gst @5%			₹ 2,585.00	
	वित्त वर्ष - 2023-24							
	अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)							
27.	M.K. Choudhary	SDP/2023-24/P/1 Dt 12.03.2024	063/ 25.01.2024	रेता	₹ 47.00	200.00 cft	₹ 9,400.00	Not available
28.				गिट्टी बजरी	₹ 40.00	300.00 cft	₹ 12,000.00	
	अनुदान शीर्ष : राज्य आपदा राहत कोश (SDRF)							
29.	M.K. Choudhary	SDRF/2022-23/P/1 Dt 12.03.2024	051/ 23.12.2023	रेता	₹ 47.00	350.00 cft	₹ 16,450.00	Not available
30.				गिट्टी बजरी	₹ 40.00	350.00 cft	₹ 14,000.00	
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)							
31.	MK Choudhary	Nil/01/03/2024	001/10/05/2023	Sand	₹ 44.90	100.00 cft	₹ 4,490.00	Not available
32.	MK Choudhary	Nil/01/03/2024	003/12/05/2023	Cut Stone	₹ 25.00	200.00 Nos.	₹ 5,000.00	Not available
33.	MK Choudhary	Nil/01/03/2024	009/01/07/2023	Sand	₹ 47.00	100.00 cft	₹ 4,700.00	Not available
34.				Agg	₹ 40.00	100.00 cft	₹ 4,000.00	
35.				Cut Stone	₹ 22.00	350.00 Nos.	₹ 7,700.00	
36.	MK Choudhary	Nil/04/03/2024	027/31/08/2023	Sand	₹ 47.00	40.00 cft	₹ 1,880.00	Not available
37.				Agg	₹ 40.00	50.00 cft	₹ 2,000.00	
						कुल जोड़	₹ 4,05,273.00	

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Barwala is true and as per records available at GP Barwala Office.

Sunil Singh
Gram Rozgar Sewak
GP Barwala

Onkar Dutt
Barwala

Karun Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Barwala
Dev Block Dharamshala

37

ग्राम पंचायत बरवाला द्वारा बजरी एवं पत्थर की खरीद में रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹ 0.23 लाख का आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त/अनियमित भुगतान का विवरण

वित्त वर्ष - 2022-2023									
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)									
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान की गई राशि	कटौती दर	रिक्तियां (Voids)
1.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	001/ 09/04/2021	Agg	₹ 29.50	200.00 cft	₹ 6,195.00	5.00%	₹ 309.75
2.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	007/ 09/04/2021	Agg	₹ 29.50	100.00 cft	₹ 3,097.50	5.00%	₹ 154.88
3.				Cut Stone	₹ 13.00	1900.00 Nos.	₹ 24,700.00	12.50%	₹ 3,087.50
4.	Rajesh Kumar	Nil/31/05/2022	018/03/06/2021	Cut Stone	₹ 13.00	900.00 Nos.	₹ 11,700.00	5.00%	₹ 1,462.50
5.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	012/ 18/04/2021	Agg	₹ 29.50	100.00 Cft	₹ 3,097.50	5.00%	₹ 154.88
6.				Cut Stone	₹ 13.00	1000.00 Nos.	₹ 13,000.00	12.50%	₹ 1,625.00
7.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	009/ 16/04/2021	Agg	₹ 29.50	200.00 cft	₹ 6,195.00	5.00%	₹ 309.75
8.				Cut Stone	₹ 13.00	1000.00 Nos.	₹ 13,000.00	12.50%	₹ 1,625.00
9.	Rajesh Kumar	Nil/31/05/2022	027/01/09/2021	Cut Stone	₹ 13.00	870.00 Nos.	₹ 11,310.00	12.50%	₹ 1,413.75
10.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	008/ 16/04/2021	Agg	₹ 29.50	100.00 cft	₹ 3,097.50	5.00%	₹ 154.88
11.				Cut Stone	₹ 13.00	2000.00 Nos.	₹ 26,000.00	12.50%	₹ 3,250.00
12.	Rajesh Kumar	Nil/31/05/2022	014/20/06/2021	Cut Stone	₹ 13.00	1100.00 Nos.	₹ 14,300.00	12.50%	₹ 1,787.50
13.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	041/ 01/02/2022	Agg	₹ 29.50	130.00 cft	₹ 4,026.75	5.00%	₹ 201.34
14.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	042/ 01/02/2022	Agg	₹ 29.50	160.00 cft	₹ 4,956.00	5.00%	₹ 247.80
15.				Cut Stone	₹ 13.00	1440.00 Nos.	₹ 18,720.00	12.50%	₹ 2,340.00
16.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	043/ 01/02/2022	Agg	₹ 29.50	130.00 Cft	₹ 4,026.75	5.00%	₹ 201.34
17.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	047/ 09/03/2022	Agg	₹ 29.50	1000.00 Cft	₹ 30,975.00	5.00%	₹ 1,548.75
	वित्त वर्ष - 2023-24								
	अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)								
18.	M.K. Choudhary	SDP/2023-24/P/1 Dt 12.03.2024	063/ 25.01.2024	गिट्टी बजरी	₹ 40.00	300.00 cft	₹ 12,000.00	5.00%	₹ 600.00
	अनुदान शीर्ष : राज्य आपदा राहत कोश (SDRF)								
19.	M.K. Choudhary	SDRF/2022-23/P/1 Dt 12.03.2024	051/ 23.12.2023	गिट्टी बजरी	₹ 40.00	350.00 cft	₹ 14,000.00	5.00%	₹ 700.00
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)								
20.	MK Choudhary	Nil/01/03/2024	003/12/05/2023	Cut Stone	₹ 25.00	200.00 Nos.	₹ 5,000.00	12.50%	₹ 625.00
21.	MK Choudhary	Nil/01/03/2024	009/01/07/2023	Agg	₹ 40.00	100.00 cft	₹ 4,000.00	5.00%	₹ 200.00
22.				Cut Stone	₹ 22.00	350.00 Nos.	₹ 7,700.00	12.50%	₹ 962.50
23.	MK Choudhary	Nil/04/03/2024	027/31/08/2023	Agg	₹ 40.00	50.00 cft	₹ 2,000.00	5.00%	₹ 100.00
						कुल जोड़ (R/Off)	**₹ 2,43,097.00**		**₹ 23,062.10**

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Barwala is true and as per records available at GP Barwala Office.

Sanjib Singh
Gram Rozgar Sewak
GP Barwala

Barwala ONKAR DOTT

Karun Kumar Pankaj
Gram Panchayat Barwala
Dev Block Dharamshala

परिशिष्ट " छ ", पैरा संख्या " 8.3 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत बरवाला द्वारा जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती किए बिना अपूर्तिकर्ता को सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान करने के कारण राशि ₹ 0.09 लाख का अनियमित/अतिरिक्त भुगतान का विवरण

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	व्यय चयनित माह	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सेवाओं एवं सामग्री का विवरण	चयनित माह में कुल भुगतान की गई राशि	G.S.T T.D.S. कटौती दर	G.S.T T.D.S. की कटौती योग्य राशि
1.	2022-23	May-22	Rajesh Kumar, Vill. Barwala, P.O. Ghiana Kalan, Dharamshala GST No. **02CZGPK3190N1Z6**	Sand, Agg, Cement Carriage & Shuttering	**₹ 4,41,411.00**	2%	₹ 8,828.22
				Total (R/Off)	**₹ 4,41,411.00**	2%	**₹ 8,828.22**

Sanib Singh
Gram Rozgar Sewak
GP Barwala

ONKAR DUTT
Barwala

Karun Kumar Pankaj
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Barwala
Dev. Block Dharamshala

39

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " **8.4** " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत बरवाला द्वारा औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किये बिना राशि ₹ 6.39 लाख की निर्माण सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

वित्त वर्ष - 2023-2024

अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान राशि	टिप्पणी
1.	AMAR FRUIT PLANTS NURSURY (HALER)	Nil/ 31/05/2022	330/ 27/08/2021	Mango Amarpali	₹ 130.00	5.00 Nos.	₹ 650.00	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन न देना।
2.				Orange	₹ 80.00	10.00 Nos.	₹ 800.00	
3.				APPLE	₹ 240.00	20.00 Nos.	₹ 4,800.00	
4.				Jack Fruit	₹ 160.00	10.00 Nos.	₹ 1,600.00	
5.				Ambla	₹ 60.00	20.00 Nos.	₹ 1,200.00	
6.				Ambla Grafted	₹ 140.00	40.00 Nos.	₹ 5,600.00	
7.				Langra Mango	₹ 130.00	10.00 Nos.	₹ 1,300.00	
8.				Chiku	₹ 180.00	10.00 Nos.	₹ 1,800.00	
9.				Nimbu Kumbkath	₹ 140.00	60.00 Nos.	₹ 8,400.00	
10.				Cronda	₹ 80.00	10.00 Nos.	₹ 800.00	
11.				Gauva	₹ 120.00	20.00 Nos.	₹ 2,400.00	
12.				Chandan White	₹ 190.00	10.00 Nos.	₹ 1,900.00	
13.				Malta	₹ 70.00	50.00 Nos.	₹ 3,500.00	
14.				Star Fruit	₹ 150.00	10.00 Nos.	₹ 1,500.00	
15.				Mossmi	₹ 70.00	10.00 Nos.	₹ 700.00	
16.				Pink Guava	₹ 180.00	5.00 Nos.	₹ 900.00	
17.	AMAR FRUIT PLANTS NURSURY (HALER)	Nil/ 31/05/2022	332/ 27/08/2021	Orange	₹ 80.00	30.00 Nos.	₹ 2,400.00	
18.				Nimbu	₹ 50.00	100.00 Nos.	₹ 5,000.00	
19.				Nimbu Kumbkath	₹ 140.00	100.00 Nos.	₹ 14,000.00	
20.				Chiku	₹ 180.00	50.00 Nos.	₹ 9,000.00	
21.				Star Fruit	₹ 150.00	50.00 Nos.	₹ 7,500.00	
22.				Malta	₹ 70.00	50.00 Nos.	₹ 3,500.00	
23.				Mossmi	₹ 70.00	50.00 Nos.	₹ 3,500.00	
24.				Gauva Pink	₹ 180.00	10.00 Nos.	₹ 1,800.00	
25.				Lusada	₹ 180.00	10.00 Nos.	₹ 1,800.00	
26.				Jack Fruit	₹ 160.00	10.00 Nos.	₹ 1,600.00	
27.				Jamun	₹ 150.00	20.00 Nos.	₹ 3,000.00	
28.				Gauva	₹ 60.00	70.00 Nos.	₹ 4,200.00	
29.	AMAR FRUIT PLANTS NURSURY (HALER)	Nil/ 31/05/2022	328/ 26/08/2021	Nimbu	₹ 50.00	200.00 Nos.	₹ 10,000.00	
30.				Pink Guava	₹ 180.00	50.00 Nos.	₹ 9,000.00	
31.				Mossmi	₹ 70.00	100.00 Nos.	₹ 7,000.00	
32.				Ambla	₹ 140.00	100.00 Nos.	₹ 14,000.00	
33.				Star Fruit	₹ 150.00	20.00 Nos.	₹ 3,000.00	
34.	AMAR FRUIT PLANTS NURSURY (HALER)	Nil/ 31/05/2022	323/ 26/08/2021	Mossmi	₹ 70.00	20.00 Nos.	₹ 1,400.00	
35.				APPLE	₹ 240.00	10.00 Nos.	₹ 2,400.00	
36.				Nimbu	₹ 50.00	150.00 Nos.	₹ 7,500.00	
37.				Gauva	₹ 60.00	10.00 Nos.	₹ 600.00	
38.				Orange	₹ 80.00	10.00 Nos.	₹ 800.00	
39.	AMAR FRUIT PLANTS NURSURY (HALER)	Nil/ 31/05/2022	331/ 27/08/2021	Nimbu	₹ 100.00	50.00 Nos.	₹ 5,000.00	
40.				Galgal	₹ 60.00	70.00 Nos.	₹ 4,200.00	
41.				Jack Fruit	₹ 10.00	160.00 Nos.	₹ 1,600.00	
42.				Mossmi	₹ 30.00	70.00 Nos.	₹ 2,100.00	

SAHIB SINGH ONKAR DUTT

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान राशि	टिप्पणी
43.	AMAR FRUIT PLANTS NURSURY (HALER)	Nil/ 31/05/2022	334/ 28/08/2021	Silver Roak	₹ 120.00	100.00 Nos.	₹ 12,000.00	
44.				Safeda	₹ 120.00	100.00 Nos.	₹ 12,000.00	
45.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	017/ 30/06/2021	Material Carrige	₹ 700.00	4.00 Trolly	₹ 2,800.00	
46.				Shuttering	₹ 10.00	290.00 Ft^2	₹ 2,900.00	
47.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	001/ 09/04/2021	Sand	₹ 37.00	400.00 cft	₹ 14,800.00	
48.				Agg	₹ 29.50	200.00 cft	₹ 5,900.00	
49.				Gst @5%			₹ 1,035.00	
50.				Material Carrige	₹ 700.00	10.00 Trolly	₹ 7,000.00	
51.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	007/ 09/04/2021	Sand	₹ 37.00	300.00 cft	₹ 11,100.00	
52.				Agg	₹ 29.50	100.00 cft	₹ 2,950.00	
53.				Gst @5%			₹ 702.50	
54.				Cut Stone	₹ 13.00	1900.00 Nos.	₹ 24,700.00	
55.				Cement Carrige	₹ 28.00	79.00 Bags	₹ 2,212.00	
56.	Rajesh Kumar	Nil/31/05/2022	018/03/06/2021	Cut Stone	₹ 13.00	900.00 Nos.	₹ 11,700.00	
57.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	012/ 18/04/2021	Sand	₹ 37.00	300.00 Cft	₹ 11,100.00	
58.				Agg	₹ 29.50	100.00 Cft	₹ 2,950.00	
59.				Gst @5%			₹ 702.50	
60.				Cut Stone	₹ 13.00	1000.00 Nos.	₹ 13,000.00	
61.				Cement Carrige	₹ 28.00	54.00 Bags	₹ 1,512.00	
	Rajesh Kumar	Nil/31/05/2022	015/23/06/2021	Cut Stone	₹ 13.00	1400.00 Nos.	₹ 18,200.00	
62.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	009/ 16/04/2021	Sand	₹ 37.00	500.00 cft	₹ 18,500.00	
63.				Agg	₹ 29.50	200.00 cft	₹ 5,900.00	
64.				Gst @5%			₹ 1,220.00	
65.				Cut Stone	₹ 13.00	1000.00 Nos.	₹ 13,000.00	
66.				Cement Carrige	₹ 28.00	134.00 Bags	₹ 3,752.00	
	Rajesh Kumar	Nil/31/05/2022	013/20/06/2021	Cut Stone	₹ 13.00	2080.00 Nos.	₹ 27,040.00	
67.	Rajesh Kumar	Nil/31/05/2022	027/01/09/2021	Cut Stone	₹ 13.00	870.00 Nos.	₹ 11,310.00	
68.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	008/ 16/04/2021	Sand	₹ 37.00	200.00 cft	₹ 7,400.00	
69.				Agg	₹ 29.50	100.00 cft	₹ 2,950.00	
70.				Gst @5%			₹ 517.50	
71.				Cut Stone	₹ 13.00	2000.00 Nos.	₹ 26,000.00	
72.				Cement Carrige	₹ 28.00	150.00 Bags	₹ 4,200.00	
73.	Rajesh Kumar	Nil/31/05/2022	014/20/06/2021	Cut Stone	₹ 13.00	1100.00 Nos.	₹ 14,300.00	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन न देना।
74.	Rajesh Kumar	Nil/19/05/2022	030/10/12/2021	carrige	₹ 27.00	38.00 Bags	₹ 1,026.00	
75.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	041/ 01/02/2022	Sand	₹ 37.00	250.00 cft	₹ 9,250.00	
76.				Agg	₹ 29.50	130.00 cft	₹ 3,835.00	
77.				Gst @5%			₹ 654.25	
78.				Material Carrige	₹ 700.00	6.00 Trolly	₹ 4,200.00	
79.				Shuttering	₹ 13.00	900.00 Ft^2	₹ 11,700.00	
80.	Rajesh Kumar	Nil/19/05/2022	031/10/12/2021	carrige	₹ 27.00	28.00 Bags	₹ 756.00	
81.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	042/ 01/02/2022	Sand	₹ 37.00	400.00 cft	₹ 14,800.00	
82.				Agg	₹ 29.50	160.00 cft	₹ 4,720.00	
				Cut Stone	₹ 13.00	1440.00 Nos.	₹ 18,720.00	
				Gst @5%			₹ 1,912.00	
83.				Material Carrige	₹ 700.00	10.00 Trolly	₹ 7,000.00	
85.	Rajesh Kumar	Nil/19/05/2022	036/10/12/2021	carrige	₹ 27.00	29.00 Bags	₹ 783.00	
86.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	043/ 01/02/2022	Sand	₹ 37.00	200.00 Cft	₹ 7,400.00	
87.				Agg.	₹ 29.50	70.00 Cft	₹ 2,065.00	
				Cut Stone	₹ 13.00	810.00 Nos.	₹ 10,530.00	

ONKARDUTT

Karun Kumar Pankaj

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा		भुगतान राशि	टिप्पणी
		31/05/2022		Gst @5%				₹ 999.75	
88.				carrige	₹ 700.00	5.00	Trolly	₹ 3,500.00	
90.	Rajesh Kumar	Nil/ 31/05/2022	047/ 09/03/2022	Sand	₹ 37.00	600.00	Cft	₹ 22,200.00	
91.				Agg	₹ 29.50	1000.00	Cft	₹ 29,500.00	
				Gst @5%				₹ 2,585.00	
92.				carrige	₹ 700.00	17.00	Trolly	₹ 11,900.00	
93.	Rajesh Kumar	Nil/31/05/2022	048/10/03/2022	Shuttering	₹ 15.00	650.00	Ft^2	₹ 9,750.00	
94.	Rajesh Kumar	Nil/31/05/2022	010/30/06/2021	Shuttering	₹ 10.00	60.00	Ft^2	₹ 600.00	
				वित्त वर्ष - 2023-2024					
				अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)					
95.	New Hope Nursery	Nil/ 01/03/2024	133/ 27/06/2023	Gauva	₹ 180.00	10.00	No.	₹ 1,800.00	
96.				Lusada	₹ 250.00	2.00	No.	₹ 500.00	
97.				Ambla	₹ 150.00	5.00	No.	₹ 750.00	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन न देना।
98.				Kathal	₹ 250.00	10.00	No.	₹ 2,500.00	
99.				Mossmi	₹ 150.00	20.00	No.	₹ 3,000.00	
100.				Nimbu	₹ 160.00	88.00	No.	₹ 14,080.00	
101.				Galgal	₹ 170.00	10.00	No.	₹ 1,700.00	
102.				Chiku	₹ 250.00	5.00	No.	₹ 1,250.00	
103.				Babu Gosa	₹ 200.00	5.00	No.	₹ 1,000.00	
104.				Khumani	₹ 200.00	4.00	No.	₹ 800.00	
105.				Palam	₹ 180.00	1.00	No.	₹ 180.00	
106.				Malta	₹ 150.00	5.00	No.	₹ 750.00	
107.				Mango	₹ 200.00	20.00	No.	₹ 4,000.00	
108.				Ramfal	₹ 200.00	1.00	No.	₹ 200.00	
109.				Seetafal	₹ 200.00	1.00	No.	₹ 200.00	
110.				Akkada	₹ 300.00	1.00	No.	₹ 300.00	
111.				Anar	₹ 120.00	17.00	No.	₹ 2,040.00	
113.	New Hope Nursery	Nil/ 01/03/2024	136/ 07/08/2023	Nimbu PS	₹ 160.00	150.00	No.	₹ 24,000.00	
114.				Apple	₹ 250.00	10.00	No.	₹ 2,500.00	
115.				Papaya	₹ 50.00	10.00	No.	₹ 500.00	
117.	New Hope Nursery	Nil/ 01/03/2024	171/ 14/09/2023	Orange	₹ 150.00	25.00	No.	₹ 3,750.00	
118.				Mossmi	₹ 150.00	25.00	No.	₹ 3,750.00	
119.				Kinnu	₹ 150.00	20.00	No.	₹ 3,000.00	
120.				Katahal	₹ 250.00	10.00	No.	₹ 2,500.00	
121.				Lusada	₹ 250.00	5.00	No.	₹ 1,250.00	
122.				Nimbu	₹ 160.00	60.00	No.	₹ 9,600.00	
123.				Kamark	₹ 250.00	10.00	No.	₹ 2,500.00	
124.				Jeep rent	₹ 650.00	1.00	No.	₹ 650.00	
126.	New Hope Nursery	Nil/ 01/03/2024	174/ 26/09/2023	Nimbu	₹ 160.00	50.00	No.	₹ 8,000.00	
127.				Galgal	₹ 170.00	50.00	No.	₹ 8,500.00	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन न देना।
128.				Ambla	₹ 150.00	50.00	No.	₹ 7,500.00	
129.				Kinnu	₹ 150.00	40.00	No.	₹ 6,000.00	
130.				Mossmi	₹ 150.00	40.00	No.	₹ 6,000.00	
131.				Katahal	₹ 250.00	2.00	No.	₹ 500.00	
132.				Jeep rent	₹ 500.00	1.00	No.	₹ 500.00	
134.	New Hope Nursery	Nil/ 01/03/2024	157/ 07/09/2023	Nimbu	₹ 160.00	150.00	No.	₹ 24,000.00	
135.				Galgal	₹ 170.00	50.00	No.	₹ 8,500.00	
136.				Katahal	₹ 250.00	2.00	No.	₹ 500.00	
137.				Gauva	₹ 180.00	6.00	No.	₹ 1,080.00	
138.				Chamark	₹ 250.00	2.00	No.	₹ 500.00	
139.				APPLE	₹ 250.00	4.00	No.	₹ 1,000.00	
140.				Malta	₹ 150.00	4.00	No.	₹ 600.00	
141.				Orange	₹ 150.00	4.00	No.	₹ 600.00	
142.				Kinnu	₹ 150.00	2.00	No.	₹ 300.00	

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा		भुगतान राशि	टिप्पणी
144.	New Hope Nursery	Nil/ 01/03/2024	173/ 26/09/2023	Nimbu	₹ 160.00	50.00	No.	₹ 8,000.00	
145.				Galgal	₹ 170.00	50.00	No.	₹ 8,500.00	
146.				Katahal	₹ 250.00	20.00	No.	₹ 5,000.00	
147.				Mossmi	₹ 150.00	20.00	No.	₹ 3,000.00	
148.				Kinnu	₹ 150.00	20.00	No.	₹ 3,000.00	
149.				Orange	₹ 150.00	10.00	No.	₹ 1,500.00	
150.				Mango	₹ 200.00	20.00	No.	₹ 4,000.00	
151.				Gauva	₹ 180.00	20.00	No.	₹ 3,600.00	
152.				Jeep rent	₹ 400.00	1.00	No.	₹ 400.00	
						कुल जोड़		₹ 6,39,489.50	

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Barwala is true and as per records available at GP Barwala Office.

43

ग्राम पंचायत बरवाला द्वारा सीमेंट क्रय हेतु भुगतान की गई अग्रिम राशि ₹ 8.22 लाख का समायोजन हेतु शेष पाए जाने का विवरण

वित्त वर्ष - 2022-2023

अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	DeliveryChalla/ Gate Pass No.	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान की गई राशि
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	4710/22/03/2022	सीमेंट	₹ 344.69	25.00 Bags	₹ 8,617.25
2.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	0099138/23/07/2021	सीमेंट	₹ 344.69	250.00 Bags	₹ 86,172.50
3.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	0099140/23/07/2021	सीमेंट	₹ 344.69	200.00 Bags	₹ 68,938.00
4.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	0099141/23/07/2021	सीमेंट	₹ 344.69	170.00 Bags	₹ 58,597.30
5.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	08651/17/09/2021	सीमेंट	₹ 344.69	170.00 Bags	₹ 58,597.30
6.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	0099139/23/07/2021	सीमेंट	₹ 344.69	100.00 Bags	₹ 34,469.00
7.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	4313/28/02/2022	सीमेंट	₹ 344.69	90.00 Bags	₹ 31,022.10
8.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/19/05/2022	14376/20/12/2021	सीमेंट	₹ 344.69	60.00 Bags	₹ 20,681.40
9.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/19/05/2022	14375/20/12/2021	सीमेंट	₹ 344.69	100.00 Bags	₹ 34,469.00
10.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	4713/22/03/2022	सीमेंट	₹ 344.69	120.00 Bags	₹ 41,362.80
11.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	0099142/23/07/2021	सीमेंट	₹ 344.69	70.00 Bags	₹ 24,128.30
12.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	4314/28/02/2022	सीमेंट	₹ 344.69	70.00 Bags	₹ 24,128.30
13.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	4312/28/02/2024	सीमेंट	₹ 344.69	84.00 Bags	₹ 28,953.96
14.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	4711/22/03/2022	सीमेंट	₹ 344.69	80.00 Bags	₹ 27,575.20
15.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	4712/22/03/2022	सीमेंट	₹ 344.69	70.00 Bags	₹ 24,128.30
16.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	0099143/23/07/2021	सीमेंट	₹ 344.69	38.00 Bags	₹ 13,098.22
17.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/31/05/2022	0099144/23/07/2021	सीमेंट	₹ 344.69	31.00 Bags	₹ 10,685.39
						जोड़ (i)	**₹ 5,95,624.32**

वित्त वर्ष - 2023-2024

अनुदान शीर्ष : 15वाँ वित्तायोग (15[TH] FC)

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	DeliveryChalla/ Gate Pass No.	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान की गई राशि
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	XVFC/2023-24/P/33 DT 20.03.2024	439523/12/03/2024	सीमेंट	₹ 409.00	122.00 Bags	₹ 49,898.00
2.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	XVFC/2023-24/P/36 DT 22.03.2024	43954/12/03/2024	सीमेंट	₹ 409.00	50.00 Bags	₹ 20,450.00
3.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	XVFC/2023-24/P/37 DT 22.03.2024	43952/12/03/2024	सीमेंट	₹ 409.00	115.00 Bags	₹ 47,035.00
						जोड़ (ii)	**₹ 1,17,383.00**

अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	DeliveryChalla/ Gate Pass No.	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान की गई राशि
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/01/03/2024	43181/21/09/2023	सीमेंट	₹ 401.00	95.00 Bags	₹ 38,095.00
2.	H.P.S.C.S.Co. Ltd.Khaniyara	Nil/01/03/2024	43882/24/01/2024	सीमेंट	₹ 402.29	175.00 Bags	₹ 70,400.23
						जोड़ (iii)	**₹ 1,08,495.23**
						कुल जोड़ (i + ii+iii)	**₹ 8,21,502.55**

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Barwala is true and as per records available at GP Barwala Ofiice.

SAHIB SINGH
Gram Rozgar Sevak
GP Barwala

ONKAR DUTT
Barwala

Karun Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Barwala
Dev. Block Dharamshala

44

(परिशिष्ट " ञ " पैरा संख्या " 8.7 " के संदर्भ में)

ग्राम पंचायत बरवाला द्वारा कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निष्पादित राशि ₹ 1.50 लाख के स्वीकृत कार्य से संबंधित माप पुस्तिका, प्राक्कलन, और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण

क्र०सं०	अनुदान शीर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशी	चयनित माह में भुगतान की गई राशि	कार्य की स्थिति
1.	SDRF	R/O Path from School to Bishan Das House W.No. 1	2023-24	₹ 1,50,000.00	₹ 54,775.00	पूर्ण
			कुल जोड़	**₹ 1,50,000.00**	**₹ 54,775.00**	

Technical Assistant
G.P. Barwala
Dev. Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

Karun Kumar Pankaj
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Barwala
Dev. Block Dharamshala

हस्ताक्षर__________

दिनांक__________

45

परिशिष्ट " ट ", पैरा संख्या " 9.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बरवाला द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण सामग्री खरीद पर राशि ₹ 0.61 लाख के अनियमित/अतिरिक्त भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	वर्क कोड	लाभार्थी का नाम	MIS अनुसार कुल व्यय राशि	MIS अनुसार सामग्री पर कुल व्यय	MIS अनुसार मजदूरी पर कुल व्यय	मजदूरी अनुसार सामग्री पर व्यय योग्य राशी	सामग्री पर अतिरिक्त व्यय की गई राशि (60:40 अनुपात)
1.	पौधारोपण कार्य कमला देवी की जमीन में वार्ड एक	1304004163/DP/ 8000041598	श्रीमती कृमला देवी	₹ 90,154.22	₹ 41,840.22	₹ 48,314.00	₹ 32,177.12	₹ 9,663.10
2.	पौधारोपण कार्य रणजीत सिंह व् मदन लाल की जमीन के पास वार्ड एक	1304004163/DP/ 8000041600	श्री रणजीत सिंह व् मदन लाल	₹ 1,96,324.02	₹ 82,441.02	₹ 1,13,883.00	₹ 75,846.08	₹ 6,594.94
3.	निर्माण गौ शेड रोशन लाल जमीन वार्ड एक	1304004163/IF/ 32152967	श्री रोशन लाल	₹ 34,970.00	₹ 20,441.00	₹ 14,529.00	₹ 9,676.31	₹ 10,764.69
4.	निर्माण गौ शेड अमर नाथ की जमीन वार्ड छ:	1304004163/IF/ 32152969	श्री अमर नाथ	₹ 34,873.00	₹ 23,389.00	₹ 11,484.00	₹ 7,648.34	₹ 15,740.66
5.	निर्माण गौ शेड सुभाष चंद जमीन वार्ड एक	1304004163/IF/ 32152971	श्री सुभाष चंद	₹ 34,001.00	₹ 23,111.00	₹ 10,890.00	₹ 7,252.74	₹ 15,858.26
6.	फलदार पौधारोपण कार्य संतोष कुमार जमीन वार्ड 6	1304004163/IF/ 32159149	श्री संतोष कुमार	₹ 48,776.00	₹ 20,660.00	₹ 28,116.00	₹ 18,725.26	₹ 1,934.74
		कुल जोड़		**₹ 4,39,098.24**	**₹ 2,11,882.24**	**₹ 2,27,216.00**	**₹ 1,51,325.86**	**₹ 60,556.38**

Karun Kumar Pankaj
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Barwala
Dev. Block Dharamshala

Technical Assistant
G.P. ...Barwala...........
Dev. Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

Sonia Singh
Gram Rozgar Sewak

हस्ताक्षर

दिनांक

(परिशिष्ट " ठ ", पैरा संख्या " 9.2 " के संदर्भ में)

ग्राम पंचायत बरवाला द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित कार्यों से संबंधित माप पुस्तिकाओं में माप एवं मूल्यांकन दर्ज किए बिना राशि ₹ 4.51 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशी	MIS अनुसार कुल व्यय राशी	एम० बी० सं०/ पृ० सं० (मस्ट्रोल अनुसार)	मूल्यांकन राशि	कार्य की स्थिति
1.	भूमि बिकास कार्य पास मेहर चन्द जमीन वार्ड नं 4(1304004163/IF/32259200)	2021-22	₹ 50,000.00	₹ 48,354.36	0166 /76 से 78	Assessment not found in M.B.	पूर्ण
2.	निर्माण गौशाला सोहन सिंह सुपुत्र चौधरी राम जमीन वार्ड तीन (1304004163/IF/32219457)	2021-22	₹ 35,000.00	₹ 34,666.00	0166 / 1 से 3	Assessment not found in M.B.	पूर्ण
3.	निर्माण गौशाला तृप्ता देवी की जमीन में वार्ड न० 1 (1304004163/IF/32237952)	2021-22	₹ 35,000.00	₹ 34,569.00	0166 / 47 से 49	Assessment not found in M.B.	पूर्ण
4.	भूमि विकास कार्य रणजीत सिंह की जमीन के पास वार्ड न० 02 (1304004163/LD/8000054582)	2021-22	₹ 72,216.00	₹ 49,923.00	0166 / 61 से 63	Assessment not found in M.B.	पूर्ण
5.	भूमि संरक्षण कार्य पास वाटर टेंक ठांह चरण-1 वार्ड न० 01 (1304004163/LD/8000054583)	2021-22	₹ 2,90,313.00	₹ 2,34,076.28	0166 / 26 से 28	Assessment not found in M.B.	पूर्ण
6.	भूमि बिकास कार्य पास शशि जमीन वार्ड न० 01 (1304004163/LD/8000055466)	2021-22	₹ 50,000.00	₹ 49,591.00	0166 / 42 से 44	Assessment not found in M.B.	पूर्ण
		कुल जोड़	**₹ 5,32,529.00**	**₹ 4,51,179.64**			

नोट:- उपरोक्त तालिका में वर्णित माप पुस्तिका का विवरण संबंधित कार्यों के मस्ट्रोलों में तकनीकी सहायक द्वारा की गई प्रविष्टि अनुसार है।

Technical Assistant
G.P. Barwala
Dev. Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

Sanjay Singh
Gram Rozgar Sewak

Karan Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Barwala
Dev. Block Dharamshala

47

परिशिष्ट " ड ", पैरा संख्या " 9.3 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बरवाला द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित कार्यों में खपत से अधिक सीमेंट को क्रय करना एवं जारी करने के कारण राशि ₹ 0.10 लाख के अनियमित/अतिरिक्त भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	DeliveryChalla/ Gate Pass No.	मद का नाम	दर	क्रय की गई मात्रा	माप पुस्तिका अनुसार खपत	अतिरिक्त क्रय सीमेंट मात्रा	अतिरिक्त व्यय की गई राशि	एम० बी० सं०/ पृ० सं०
1.	भूमि विकास कार्य रोशन लाल की जमीन से अजीत के घर की ओर वार्ड न० 07 (1304004163/LD/8000054585)	13676/ 30/05/2022	सीमेंट	₹ 344.69	60.00 Bags	51.00 Bags	9.00 Bags	₹ 3,102.21	0166 / 14 से 16
2.	भूमि विकास कार्य बक्शी राम की जमीन से पूर्ण चंद की जमीन की ओर वार्ड न० 07 (1304004163/LD/8000054586)	13675/ 30/05/2022	सीमेंट	₹ 344.69	100.00 Bags	90.00 Bags	10.00 Bags	₹ 3,446.90	0166 / 17 से 19
3.	नि० ग्रामीण संपर्क मार्ग रमेश के घर से प्रताप चंद की जमीन की ओर वार्ड न० 2 (1304004163/RC/8000139227)	13840/ 27/05/2022	सीमेंट	₹ 401.00	125.00 Bags	117.00 Bags	8.00 Bags	₹ 3,208.00	0167 / 10 से 14
							कुल जोड़ (R/Off)	**₹ 9,757.00**	

Technical Assistant
G.P. Barwala
Dev. Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

हस्ताक्षर
दिनांक

Karun Kumar Pankaj
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Barwala
Dev. Block Dharamshala

Sanjib Singh
Gram Rozgar Sewak
GP Barwala

(परिशिष्ट " ढ ", पैरा संख्या " 9.4 " के संदर्भ में)

ग्राम पंचायत बरवाला द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित कार्य हेतु मूल्यांकन से अधिक भुगतान करने के कारण राशि ₹ 0.07 लाख के अतिरिक्त/अनियमित भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशी	MIS अनुसार कुल व्यय राशी	मूल्यांकन राशि	अतिरिक्त व्यय की गई राशि	एम० बी० सं०/ पृ० सं० (मस्ट्रोल अनुसार)
1.	निर्माण रास्ता शिव मंदिर से राज कुमार के घर की ओर वार्ड 5 (1304004163/RC/8000110520)	202-21	₹ 90,337.00	₹ 81,195.90	₹ 74,427.00	₹ 6,768.90	0156/ 27 से 29
					कुल जोड़ (R/Off)	**₹ 6,769.00**	

Sanjb Singh
Gram Rozgar Sewak

Karun Kumar Pankaj
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Barwala
Dev. Block Dharamshala

हस्ताक्षर

नियुक्त

49

परिशिष्ट " ण ", पैरा संख्या " 9.5 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बरवाला द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित कार्यों से संबंधित माप पुस्तिकाओं का नियामनुसार लेखांकन एवं अनुरक्षण न करना तथा नमूना जांच नियामनुसार न करने के कारण राशि ₹14.17 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत	स्वीकृत राशी	कुल व्यय राशी	मूल्यांकन राशि	एम० बी० सं० / पृ० सं०	कार्य की स्थिति
1.	नि० सुरक्षा दीवार नौड कुहल के साथ पास बल्लो जमीन वार्ड न० 01 (1304004163/LD/8000055650)	2021-22	₹ 1,50,538.00	₹ 1,23,130.00	₹ 1,44,259.00	0166/ 49 से 51	पूर्ण
2.	नि० सुरक्षा दीवार नौड कुहल पास नड्डी वार्ड न० 01 (1304004163/LD/8000055651)	2021-22	₹ 82,000.00	₹ 66,605.76	₹ 78,877.00	0166/ 39 से 41	पूर्ण
3.	भूमि विकास कार्य पास शमशानघाट वार्ड न० 05 (1304004163/LD/8000061363)	2021-22	₹ 3,00,000.00	₹ 2,11,235.76	₹ 2,15,239.00	0167/ 15 से 19	पूर्ण
4.	निर्माण कूहल व् रास्ता भीमसेन की जमीन से मंगल सिंह की जमीन की ओर वार्ड दो (1304004163/RC/8000120390)	2021-22	₹ 1,57,711.00	₹ 1,36,741.10	₹ 1,37,393.00	0156/ 60 से 63	पूर्ण
5.	नि० संपर्क मार्ग माधो राम के घर से पवन की दूकान की ओर वार्ड न० 02 (1304004163/RC/8000134794)	2021-22	₹ 1,84,685.00	₹ 1,17,739.72	₹ 1,22,738.00	0166/ 22 से 25	पूर्ण
6.	नि0 ग्रामीण सम्पर्क मार्ग महिला मंडल से रत्न चंद की गौशाला की ओर वार्ड नं 6 (1304004163/RC/8000140615)	2021-22	₹ 2,50,052.00	₹ 2,03,862.35	₹ 2,04,213.00	0166 / 55 से 58	पूर्ण
7.	इंटरलॉकिंग संपर्क मार्ग राजकुमार की गौशाला से त्रिलोक चंद के घर की ओर वार्ड न. 04 (1304004163/RC/8000143996)	2021-22	₹ 3,00,000.00	₹ 2,53,072.30	₹ 2,52,857.00	0167/ 6 से 9	पूर्ण
8.	नि० इंटरलॉकिंग संपर्क मार्ग पंचायत घर से GSSS बरवाला की ओर वार्ड न० 04 (1304004163/RC/8000143997)	2021-22	₹ 3,00,000.00	₹ 2,71,279.62	₹ 2,61,090.00	0167/ 1 से 5	पूर्ण
		कुल योग	₹ 17,24,986.00	₹ 13,83,666.61	₹ 14,16,666.00		

Kalun Kumar Pankaj
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Barwala

Sanib Singh
(GRS)

Barwala

50

(परिशिष्ट " त " पैरा संख्या " **10.1** व **10.2** " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत बरवाला, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176001

(क) आवेदनकर्ताओं से वसूली हेतु शेष राशि ₹0.02 लाख विवाह पंजीकरण शुल्क का विवरण :-

क्र०सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	रसीद संख्या	दिनांक	वसूली हेतु शेष राशि
1.	Arvind Kumar	20-02-2022	04-04-2022	₹ 400.00	₹ 200.00	0124602	04-04-2022	₹ 200.00
2.	Shashi Bhusan	10-05-2022	05-06-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	N.A.		₹ 200.00
3.	Rahul Choudhary	30-07-2022	15-08-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	N.A.		₹ 200.00
4.	Kapil Kumar	04-08-2022	15-08-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	N.A.		₹ 200.00
5.	Rishu Kumar	08-12-2022	28/12/2022	₹ 200.00	₹ 0.00	N.A.		₹ 200.00
6.	Suraj Kumar	26-01-2023	09-03-2023	₹ 400.00	₹ 200.00	0124671	09-03-2023	₹ 200.00
7.	Avinash Kumar	31-01-2023	09-03-2023	₹ 400.00	₹ 200.00	0124672	09-03-2023	₹ 200.00
8.	Kamal Dogra	06-02-2023	20-03-2023	₹ 400.00	₹ 200.00	0124673	20-03-2023	₹ 200.00
			कुल योग	**₹ 2,400.00**	**₹ 800.00**			**₹ 1,600.00**

(ख) आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि ₹0.07 लाख को हि०प्र० कोषागार (Treasury) में जमा न करवाने का विवरण:-

क्र०सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	रसीद संख्या	दिनांक
		वित्त वर्ष 2022-23					
1.	Akshay Kumar	04-05-2021	15-03-2022	₹ 400.00	₹ 400.00	0124601	04-04-2022
2.	Arvind Kumar	20-02-2022	04-04-2022	₹ 400.00	₹ 200.00	0124602	04-04-2022
3.	Rajeev Kumar	11-06-2022	22-07-2022	₹ 400.00	₹ 400.00	0124604	08-05-2022
4.	Ajay Kumar	14-11-2022	26-12-2022	₹ 400.00	₹ 400.00	0124643	26-12-2022
5.	Prashant Kumar	26-01-2023	16-02-2023	₹ 200.00	₹ 200.00	0124664	16-02-2023
6.	Shyam Lal	22-02-2023	09-03-2023	₹ 200.00	₹ 200.00	0124667	09-03-2023
7.	Akash kumar	16-02-2023	09-03-2023	₹ 200.00	₹ 200.00	0124670	09-03-2023
8.	Suraj Kumar	26-01-2023	09-03-2023	₹ 400.00	₹ 200.00	0124671	09-03-2023
9.	Avinash Kumar	31-01-2023	09-03-2023	₹ 400.00	₹ 200.00	0124672	09-03-2023
10.	Gurbaksh Kumar	22-02-2023	09-03-2023	₹ 200.00	₹ 200.00	0124675	09-03-2023
11.	Kamal Dogra	06-02-2023	20-03-2023	₹ 400.00	₹ 200.00	0124673	20-03-2023
12.	Rahul Kumar	09-03-2023	29-03-2023	₹ 200.00	₹ 200.00	0124674	29-03-2023
			कुल योग	**₹ 3,800.00**	**₹ 3,000.00**		

			वित्त वर्ष 2023-24				
1.	Surinder Kumar	17-01-2023	17-04-2023	₹ 400.00	₹ 400.00	0124686	17-04-2023
2.	Vinay Choudhary	12-05-2023	12-07-2023	₹ 400.00	₹ 400.00	0190415	12-07-2023
3.	Rajesh Kumar	02-09-2023	18-11-2023	₹ 400.00	₹ 400.00	0124425	18-11-2023
4.	Naveen Kumar	19-10-2023	13-12-2023	₹ 400.00	₹ 400.00	0124431	13-12-2023
5.	Jeevan Kumar	22-11-2023	14-12-2023	₹ 200.00	₹ 200.00	0124432	14-12-2023
6.	ChandanSingh	22-11-2023	21-12-2023	₹ 200.00	₹ 200.00	0124434	21-12-2023
7.	Shiva Choudhary	19-11-2023	21-12-2023	₹ 400.00	₹ 400.00	0124435	21-12-2023
8.	Atul Kumar	22-09-2023	21-12-2023	₹ 400.00	₹ 400.00	0124440	21-12-2023
9.	Avinash kumar	22-11-2023	26-01-2024	₹ 400.00	₹ 400.00	0124448	26-01-2024
10.	Muneesh Kumar	20-01-2024	09-02-2024	₹ 200.00	₹ 200.00	0124449	09-02-2024
11.	AvinashChoudhary	16-01-2024	26-02-2024	₹ 400.00	₹ 400.00	0124458	26-02-2024
12.	Vikas kumar	07-03-2024	19-03-2024	₹ 200.00	₹ 200.00	0124460	19-03-2024
13.	Nitin Kumar	07-03-2024	23-03-2024	₹ 200.00	₹ 200.00	0124461	23-03-2024
			कुल योग	**₹ 4,200.00**	**₹ 4,200.00**		

वित्त वर्ष 2022-23 में वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क की कुल राशि	**₹ 3,000.00**
वित्त वर्ष 2023-24 में वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क की कुल राशि	**₹ 4,200.00**
कुल योग	**₹ 7,200.00**

Gram Panchayat
Dev Block Dha...